भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4131
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2016/18 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया जाने वाला है)

स्वर्ण नीति

4131. डॉ. उदित राजः

श्रीमती आर. वनरोजाः

श्री ए. टी. नाना पाटीलः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्ण सिक्कों के आयात और विनिर्माण पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने स्वर्ण विनियामक नीति की समीक्षा हेतु एक कार्य समूह की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय स्वर्ण बोर्ड (एनजीबी) की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथा को आरंभ करने को सुनिश्चित करने हेतु एक विस्तृत स्वर्ण नीति बनाने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : जी, नहीं।

(ख) : ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ.) : सोने से संबंधित मामलों से जुड़े अभिकरणों के बीच अंतर-विनियामक अधिदेशों और भूमिकाओं की जांच करने तथा स्पष्ट करने के उद्देश्य से वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के अधीन 2 अगस्त, 2016 को सोने के मुद्दों से संबंधित एक कार्यसमूह का गठन किया गया है। इस कार्यसमूह की अध्यक्षता सचिव, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा की जा रही है और इसका अधिदेश निम्नानुसार है :

(i) सोने से संबंधित विनियामक तंत्र में मौजूद अंतरालों की पहचान करना और मौजूदा फ्रेमवर्क की जांच करना।

(ii) विनियामक अंतराल यदि कोई हों तो उनकी जांच से संबंधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन के मुद्दों की प्रमुख प्राथमिकताओं के संबंध में जानकारी साझा करने और अंतरविनियामक वार्ता के लिए मंच की व्यवस्था करना।

(iii) सोने के संबंध में कुछ अन्य देशों में किए गए प्रासंगिक उपाय की जांच करना।

(iv) इस संबंध में कार्यसमूह द्वारा प्रासंगिक समझा गया कोई अन्य मामला।